राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमांकः प. 2(1)(71)का/क–3/शिका/2013 जयपुर, दिनांक 27/4/2022

आदेश

श्री निशू कुमार अग्निहोत्री, आर.ए.एस., तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, अजमेर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा अपराध संख्या 271/2013 अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दण्डनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर इस विभाग के आदेश दिनांक 09.12.2021 द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।

चूंकि श्री निशू कुमार अग्निहोत्री, आर.ए.एस. पर आपराधिक भ्रष्ट आचरण के गंभीर आरोप में अभियोग चलाया जाना है, ऐसी स्थिति में उनका लोकसेवक के रूप में पद पर बने रहना प्रशासन की स्वच्छ, पारदर्शी एवं ईमानदार छवि के प्रतिकूल होने व व्यापक लोकहित में नहीं होने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री निशू कुमार अग्निहोत्री, आर.ए.एस. को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

निलम्बनकाल के दौरान श्री निशू कुमार अग्निहोत्री, आर.ए.एस. का मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

-sd-
(डॉ. एस.पी. सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान।
4. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–4/1) विभाग को श्री निशू कुमार अग्निहोत्री, आर.ए.एस. के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री अग्निहोत्री को सुपुर्द करवाकर प्राप्ति रसीद इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। साथ ही निवेदन है कि श्री निशू कुमार अग्निहोत्री, आर.ए.एस. को निलम्बित अधिकारियों हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नहीं छोडें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
6. श्री निशू कुमार अग्निहोत्री, आर.ए.एस. को निर्देश दिए जाते हैं कि वे शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिए जाते है कि वे बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये अपना मुख्यालय न छोडें।
7. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. रक्षित पत्रावली ।

(एन.एल. राव)
शासन सहायक सचिव